

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

SK. No. 3764 Dated 22.12.2018

Chhotu Kumar s/o Motu Yadav
Raniganj North P.S. Raniganj
Rs. 4000बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, अररिया सदर

ASHOK KUMAR VERMA

STAMP VENDOR
CIVIL COURT, ARARIA

LICENCE No-128/74

24/12/2018 को Guddu Nayak द्वारा सह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें सौ 22320
सौ 7690 निबंधन तथा अन्य शुल्क का मुमान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेखकारियों
इसका निबंधन स्वीकार किया उनके तथा उनके प्रह्वानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निधान एवं हस्ताक्षर पीछे
सह दस्तावेज सौ 13341 के रूप में पुरतक सौ 1 की जिल्द सौ 167 के पृष्ठ सौ 544 से 550 तक CD 26 में
सह दस्तावेज सौ 7 पृष्ठों में संधारित किया गया।

रीकॉर्ड नं. 14411/2018

24/12/2018

पट्टा-पत्र

लेखकारी का नाम:- गुड्डू नायक उम्र 40 वर्ष पिता- स्व० श्यामदेव नायक साकिन-
बलुआ थाना- रानीगंज जिला- अररिया राज्य-बिहार राष्ट्रीयता-भारतीय। जाति के
हिन्दु है। मो०: 9534553136

लेखकारी का नाम :- छोटू कुमार उम्र 25 वर्ष पिता- स्व० मटरू यादव साकिन-
कपूरपुर उत्तर थाना- रानीगंज जिला- अररिया राज्य-बिहार राष्ट्रीयता-भारतीय।
जाति के यादव हिन्दु है। मो०: 7654541144

पट्टा का प्रकार:- पट्टा (Lease Agreement)

District Registry Office, Araria Sadar

Token Number 14411

Reg. Year 2018

Serial Number 13687

Deed Number 13341

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Lessee	Chhotu Kumar						
Sig.	Chhotu Kumar						
Presented By	Guddu Nayak						
Sig.	Guddu Nayak						
Lessor	Guddu Nayak						
Sig.	Guddu Nayak						
Identified By	Rinku Nayak						
Sig.	Rinku Nayak						

रिंकु नायक
24.12.18



SCORE Ver.4.0

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 4100sop01

गुड्डु नायक
24.12.18

24 December

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR



S.L. No. 3764 Dated 22.12.2018
Chhotu Kumar vs Koshkaka
P.S. Raniganj for Lease Rs 10000

ASHOK KUMAR VERMA
STAMP VENDOR
CIVIL COURT, ARARIA
LICENCE No-126/74

4. पट्टे (Lease) की अवधि:- 21 वर्ष 11 महीना (24.12.2018 से 24.11.2040 तक)
5. किराया की राशि:- 45 डीसमिल जमीन का वार्षिक किराया 1,20,000 रु० देय होगा उक्त व्यापारिक जमीन का बजार मूल्य: 24,75,000 रु० का 15% अर्थात् 3,72,000/-रु० मूल्य का मुद्रांक निबंधन शुल्क दिया गया।
6. सम्पत्ति का विवरण :- पट्टा (Lease Agreement)
रकबा:- 45 डीसमिल (पैतालीस डीसिमल) लम्बाई 45 मीटर एवं चौड़ाई 40 मीटर है।
भूमि का वर्ग :- जमीन व्यवसायिक की है।
मौजा- मझुवा थाना नं०- 73 तौजी नं०- 8/5
परगना- हवेली थाना- रानीगंज निबंधन कार्यालय- अररिया जिला- अररिया
अंचल कार्यालय- रानीगंज बिहार सरकार इन्चार्ज सर्किल ऑफिसर रानीगंज को खजाना देन होता है।

खाता	खेसरा	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
16 (सोलह)	1134 (ग्यारह सौ चौतीस)	45 डीसमिल	नीज बाया	रिक्कु	पक्की सड़क S.H 77	बनवारी चौधरी

-संदर्भ-

सम्पत्ति जमीन खरीदगी केवाला मोसम्मी मो० समीम अख्तर पिता हाजी शेख डोमन अली साकिन कालाबलुआ थाना रानीगंज से खुद नाम से प्राप्त है, जिसका दलील नं० 57/17 रजिस्ट्री तारीख 23.12.2000 ई० है, जो जमाबन्दी नं० 4178 है। 45 डीसमिल जमीन 21 वर्ष 11 महीने के लिए पट्टा (Lease Agreement) किया।



पट्टा 7/14

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

32.10.2018 Date 22.12.2018
Chhotu Kumar on 15.12.2018
P.S. Lamungay for Lease Rs. 1000

लेख्यकारी 45 (पेंतालीस) डीसमिल जमीन एकीस वर्ष ग्यारह माह के लिए लेख्यधारी को पट्टा पर देकर एकरार करते हैं।

SHANKAR VERMA
STAMP VENDOR
CIVIL COURT, ARARIA

1. यह कि लेख्यधारी वर्णित जमीन पर पेट्रोल पम्प लगा कर व्यवसाय करते रहेंगे पट्टे (Lease) पेट्रोल पम्प खोलने के लिए दिया गया है।
2. यह कि पट्टे (Lease) अवधि में लीज एग्रीमेन्ट रद्द नहीं करूंगा एवं लीज वाली जमीन पर लीज की अवधि तक हम लेख्यकारी के उत्तराधिकारी वो वंशज किसी प्रकार का दावा-दावी दखल कब्जा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कानून के सख्त सजावार होंगे।
3. यह कि लेख्यधारी को यह अधिकार होगा कि उक्त वर्णित जमीन को पेट्रोल पम्प कम्पनी के नाम से सब लीज करने का अधिकार रहेगा।
4. यह कि उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात लेख्यधारी को उपरोक्त जमीन सम्बंधित कम्पनी के प्रारूप के अनुरूप किया जायेगा।
5. यह कि लेख्यधारी उपरोक्त जमीन पर अपने व्यवसाय को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु बिजली कनेक्शन वो बिजली मीटर अपने नाम से आवंटित करवा लेंग तथा अपने खर्च पर उपयोग वो उपभोग करेंगे। इसमें हम लेख्यकारी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि उक्त वर्णित जमीन लेख्यधारी को 21 वर्ष 11 महीना के लिए पेट्रोल पम्प के नियमानुसार चलाने हेतु लीज पर दे रहा हूँ। जिसका मालिकाना हक लीज की अवधि तक छोटू कुमार के पास रहेगा, लेख्यकारी को भविष्य में जरूरत पड़ी तो सहमति से आगे भी लीज डीड बनाया जा सकता है।
7. यह कि उपरोक्त नियम एवं शर्तों से दोनों पक्ष कानूनन बंधे रहेंगे तथा अगर कोई पक्ष इस पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते है तो सम्बंधित पक्ष इस पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के दोषी होंगे।
8. यह कि प्रत्येक दोन वर्ष पर किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

File-516

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

S.L. No. 3764 Dated 22.12.2018
Chhoty Kumar at Koshkapan
P.S. Ranigarh for Lease Rs 4000/-

ASHOK KUMAR VERMA

यह कि हम लेख्यकारी वो लेख्यधारी इस लीज डीड को पढ़कर अपने-अपने राजामंदी से वो अपने होशो हवास में अपना लाभ वो कर अपने मन वो शरीर की स्वस्थ अवस्था में यह लीज डीड बना दिया, जो वक्त जरूरत पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारो ने बिना किसी दवाब के तथा अपने पूर्ण होशो-हवाश में निम्नलिखित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं। आज दिनांक:- 22.12.2018 ई०

गवाह:-

रिंकु-पुत्र

पिता सुश्यामदेव कामर

पत्नी रानी गंडा

24/12/18

Ramprasad Kumar

S/o - Kamlesh Prasad Singh

P.S. - Ranigarh

24/12/18

दस्तावेज जाँच

प्रभासी लिपिक

हस्ताक्षर लेख्यकारी

Chhoty Kumar

24/12/18

हस्ताक्षर लेख्यधारी

Chhoty Kumar

प्रारूपकर्ता का हस्ताक्षर

Chhoty Kumar

24/12/18

Vide Bank Scro



कार्यालय जिला निबंधक, अररिया

नजरी नक्शा

लेख्यधारी का नाम:- होदू कुमार

लेख्यकारी का नाम:- गुडू नायक

अंचल का नाम:- राजीगंज

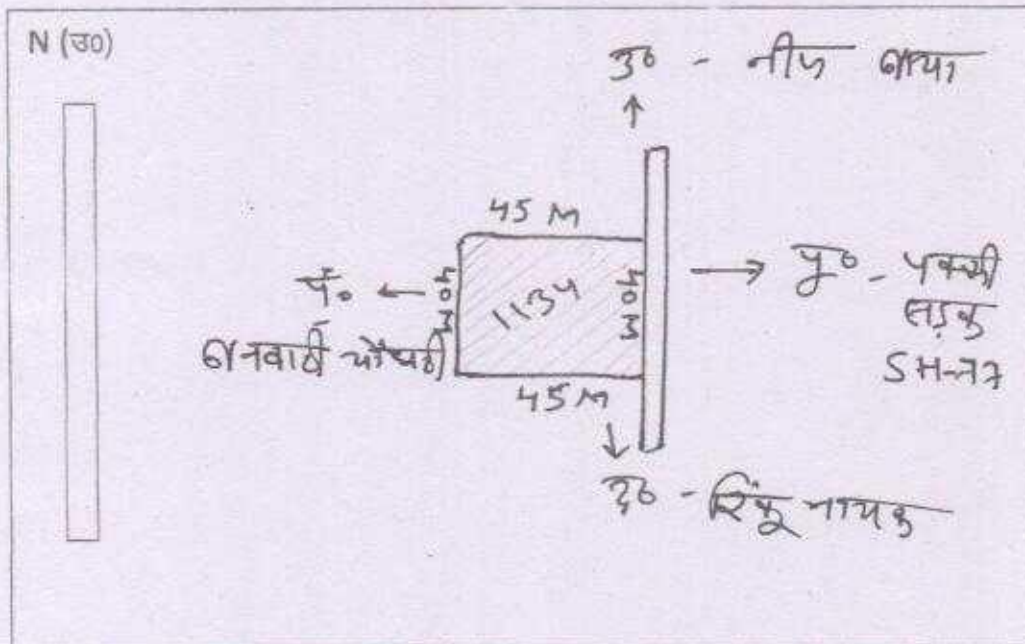
मौजा का नाम:- महुआ

राजस्व थाना नं०:- त३

खाता नं०:- 16

खेसरा नं०:- 1134

रकबा:- 45 बी०



गुडू नायक

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

Chhotu Kumar

लेख्यधारी का हस्ताक्षर



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन

Running Unique No.: 20062022075458785379
(Receipt No.)

जिला:- Araria	अंचल:- Raniganj
हल्का:- मझुआ पूरब	मौजा :- मझुआ
जमाबंदी सं०:- 4178	
भाग वर्तमान:- 15	मौजा/धाना सं०:- 73
पृष्ठ संख्या:- 2642	
जमाबंदी रेयत का नाम:- गुड्डू नायक	पता:- MAJHAO ,
अभिभावक का नाम:- श्याम देव नायक	

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
16	1134	0 एकड़ 75.75 डिसमिल 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2022-2023 से 2022-2023
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	0.00	29.00	0.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023
कुल	49.00	0.00	49.00	0.00	50.00	2022-2023 से 2022-2023

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	20.00	20.00	2022-2023 से 2022-2023	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	29.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023	
कुल	0.00	49.00	50.00	2022-2023 से 2022-2023	

कुल बकाया-50.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

तिथि- 20-06-2022



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।



बिहार सरकार

प्रमाण पत्र सं०

356/2021 - 2022

जारी करने का

तारीख :

02/08/2021

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि दखल-कब्जा(LPC) प्रमाण पत्र



जमाबंदी का विवरण:

भाग वर्तमान : 15

पृष्ठ संख्या: 2642

जिला - Araria, अनुमंडल - Araria, अंचल - Raniganj, हलका - मझुआ
पूरब, मौजा - मझुआ, थाना संख्या- 73

जमाबंदी रैयत का नाम:

रैयत का नाम- गुड्डू नायक, पिता/बाप/अबू -श्याम देव नायक, जाति- N/A

भूमि का विवरण :

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	चौहद्दी उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
16	1134	0 ए 75.75 डि० हे				
	कुल परिमाण					

अंतिम लगान का विवरण :

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल
2021-07-16 09:15:37	16072021080537449364	2019- 2020	2021- 2022	40	20

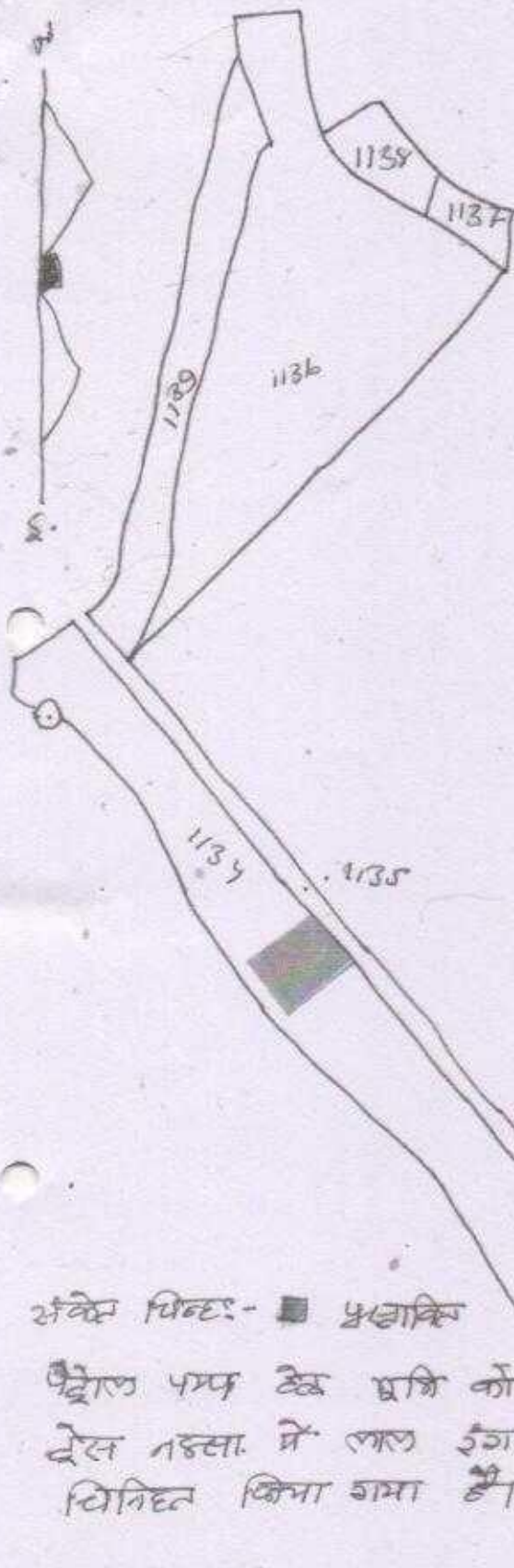
प्रमाणित किया जाता है कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि/ भू-खंड पर आवेदक श्री/श्रीमती गुड्डू नायक, पिता/बाप/अबू -श्याम देव नायक, जाति- N/A, ग्राम/मोहल्ला/वार्ड/मौजा- मझुआ, पंचायत/नगरक्षेत्र/

हलका- मझुआ पूरब, अंचल- Raniganj, जिला- Araria, राज्य-बिहार का
शांति पूर्ण दखल-कब्ज़ा है।

ह० अंचल अधिकारी

Manoj Kumar Barnwal

HPCL द्वारा प्रस्तावित नए रिटेल आइसोलेट पेट्रोल पम्प का
द्वैत गड्ढा !



मौजा - पड्डा, चादर नं- 03

आक नं- 72

अंचल + थाना - 21 तीगंज

जिला - पुरणिमों (अररिया)

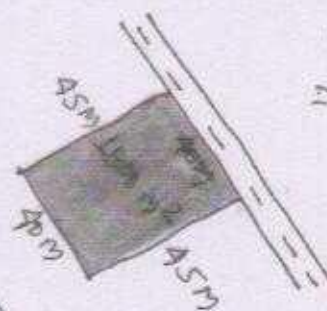
पैगादा व हिसाब की मील - 16 ईंच

संवत् :- 1954-56 ईस्वी

:- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प डेढ़ छत्रि का विवरण :-

खाला - 16
खेसरा - 1139
रकबा - 0.45 डिसमल (पैतालीस डिसमल)
वीहद्वी :- 30 - नीज काका 20 - रिहवा नाका 40 - पडकी रकबा SH 77 40 - मनपारी वीहद्वी व नीज खेसरा

:- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प डेढ़ छत्रि की पैगादा :-



$$\frac{(30+20)}{2} \times \frac{(40+40)}{2} \\ = 45m \times 40m = 1800 m^2 \\ \text{या तो } 45 \text{ डिसमल}$$

अंकेस पिट्टा - ■ प्रस्तावित

पेट्रोल पम्प डेढ़ छत्रि को
द्वैत गड्ढा में लाल रंग से
चिह्नित किया गया है।

अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
21 तीगंज

अंचल निरीक्षक
अंचल निरीक्षक
21 तीगंज

अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
21 तीगंज

प्रपत्र-7

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनाओं के लिए सम्पत्तिवर्तन), 2010 के अन्तर्गत धारा 3 उपधारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति का प्रमाण पत्र

समस्त प्राधिकार द्वारा कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजना के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-3 उपधारा-(6)/ अथवा उपधारा-(7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजना से सम्पत्तिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमी की विवरणी:-

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	रैयत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा	चौहद्दी	गैर कृषि प्रयोजना का प्रकार	सम्पत्तिवर्तन के उपरांत देय वार्षिक लगान/सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अररिया	अररिया	शनीगंज	कोटु कुमार	मझुआ	शनीगंज नं 3	16	1134	45 N निज सिकुआम डी० ए-54-77 निज वनवारी	निज पेट्रोल पम्प	रे-680:-	रे-सौ अररिया

अनुमंडल प्राधिकारी,
अनुमंडल
जिला- अररिया
दिनांक- 6.5.22

जापांक 04 दिनांक 6.5.2022

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, शनीगंज को सूचनार्थ एवं अप्रत्यक्ष कार्याचर प्रेषित।

अनुमंडल प्राधिकारी,
अररिया।